

अधिसूचना

धारा 237 हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम

ध0न.नि0 / अधि0 २५८२

दिनांक २७-०७-२०२२

धर्मशाला नगर निगम के अनुमोदन दिनांक 12.11.2021 मद संख्या, अन्य मदें (2) व दिनांक 18.07.2022 मद संख्या 8 की अनुपालना में निम्नलिखित मार्गों / पार्कों का नामकरण हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1994 की धारा 237 के अन्तर्गत अधिसूचित किया जाता है।

सभी सार्वजनिक मार्गों / पार्कों के नामों को धारा 237(C) के अनुरूप उचित स्थानों पर सूचना पटट भी स्थापित किए जाएंगे।

मार्ग / पथ

अनुमोदित नाम

1. मैकलोडगंज से टैंगलबोर्ड तक
(वार्ड न0 1 व 2) सरदार बल्लभ भाई पटेल मार्ग
2. मैकलोडगंज चौक से माउँटेनेरिंग संस्थान तक
(वार्ड न0 2) ब्रिगेडियर शेरजांग थापा मार्ग
3. डेलेक हस्पताल से चन्द्रेश हाउस होते मण्डलायुक्त आवास तक (वार्ड न0 4) नेताजी सुभाष चन्द्र मार्ग
4. प्रयास भवन –फारेजिक साईंस कार्यालय – श्याम नगर मुख्यो मार्ग तक (वार्ड न0 7,10) बाबा साहेब अम्बेडकर मार्ग
5. फारेस्ट कॉलोनी से—जिला न्यायालय परिसर तक
(वार्ड न0 6) शांति पथ
6. फारेस्ट कॉलोनी से – गोरखा कॉलोनी— चीलगाड़ी मुख्या सड़क तक (वार्ड न0 6) वीर पथ
7. मुख्या चौक –चीलगाड़ी मैक्सीमल— अदीवा होटल – बी०एस०एन०एल० कॉलोनी तक(वार्ड न0 6) संजय मार्ग
8. मुख्या अभियन्ता (लोक निर्माण विभाग) आवास – ए०डी०एम आवास –पुलिस अधीक्षक सर्तकता के सरकारी आवास तक
(वार्ड न0 6) लोक सेवा पथ
9. मुख्या पोस्ट ऑफिस— कृषि विभाग कार्यालय – पुल तक
(वार्ड न0 7) महाऋषि बाल्मीकी मार्ग

10. चरान खड्ड पुल से सरस्वती कालोनी तक
 (वार्ड नं 12) सरस्वती मार्ग
11. मैकलोडगंज शमशान घाट से खडा डंडा मार्ग जंक्शन तक
 (वार्ड नं 2, 4) कैमल ट्रैक

पार्क/उपवन

1. पुलिस अधीक्षक के आवास के सामने समता स्थल
2. हि0प्र0 स्कूल शिक्षा बोर्ड (सैनिक संग्रहालय के साथ) संस्कृति स्थल
3. चरान खड्ड पुल के समीप अमोद पार्क

14
 आयुक्त
 धर्मशाला नगर निगम
 21.07.2022